

# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/37/2025

रजू दिनांक: 07.04.2025

रजि0 न0 2025/70

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री राकेश, निवासी 168, स्कीम नं0 4, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राज0)

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 15.04.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 18.02.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई थी, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 15.04.2025 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू0आई0टी/आर.टी.आई./2025/247 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई क्रमांक 62/25 श्री राकेश, निवासी 168, स्कीम नं0 4, अलवर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आवेदन क्रमांक 9991 दिनांक 18.02.2025 के द्वारा पट्टा पत्रावली की नकल चाही गई थी। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अपूर्ण, विशिष्टियां रहित होने के कारण न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 14385 दिनांक 21.03.2025 को सूचना से अवगत कराया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंगनक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 18.02.2025 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा वांछित पट्टा पत्रावली की नकल के संबंध में सूचना से कार्यालय पत्रांक 14385 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा अपीलार्थी को भिजवाई जा चुके है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंगनक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 18.02.2025 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी को न्यास पत्रांक 143859 दिनांक 21.03.2025 के माध्यम से सूचना अस्पष्ट, विशिष्टियां रहित एवं निर्धारित प्रारूप में नहीं होने के कारण सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत देय नहीं होने के कारण विनिश्चय किया जाकर सूचना से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
7. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
8. निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(डॉ. अमर्तिका शुक्ला)  
जिला कलक्टर अलवर  
(राजस्थान)